

प्रदेश में संशोधित माल ढुलाई सहायता योजना अधिसूचि

चर्चा में क्यों?

26 जुलाई, 2023 को हरियाणा सरकार ने 'हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति (एचईईपी)- 2020' के तहत अधिसूचि माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन कर राज्य में स्थिति सभी एमएसएमई की नरियातक इकाइयों के लिये संशोधित माल ढुलाई सहायता योजना अधिसूचि की है।

प्रमुख बिंदु

- उद्योग एवं वाणजिय वभिग द्वारा जारी इस आशय की अधिसूचना अनुसार वैश्विक बाजार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के नरियात को प्रतसिपरदधी बनाने के लिये अन्य गैर-वतितीय प्रोत्साहनों सहित इकाई के परसिर से बंदरगाह/एयर कार्गो/ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक परविहन लागत की अदायगी के लिये माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में 25 लाख रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- वनिरिमाण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सड़क मार्ग से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक माल की ढुलाई पर सरकारी शुल्क और करों को छोड़कर, फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या वास्तविक माल ढुलाई के 1 प्रतशित की सीमा तक माल ढुलाई सहायता, जो भी कम हो, जेडईडी प्रमाणन के स्तर के आधार पर सुनश्चि की जाएगी।
- थ्रस्ट सेक्टर (एचईईपी के तहत अधिसूचि) के लिये, 'सी' और 'डी' श्रेणी ब्लॉक में स्थिति थ्रस्ट सेक्टर में लगे नरिमाता नरियातक को अधिकतम 25 लाख रुपए और थ्रस्ट सेक्टर 'ए' और 'बी' श्रेणी के ब्लॉक में लगे नरिमाता नरियातक को 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी सुनश्चि की जाएगी।
- अन्य सभी पात्र नरिमाता नरियातक इकाइयों (नॉन-थ्रस्ट सेक्टर) के लिये, 'सी' और 'डी' श्रेणी ब्लॉक में स्थिति नरिमाता नरियातक को अधिकतम 20 लाख रुपए तथा 'ए' और 'बी' श्रेणी ब्लॉक में स्थिति नरिमाता नरियातक को 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी सुनश्चि की जाएगी।
- नई संशोधन नीति में वनिरिमाण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सड़क मार्ग से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक ढुलाई हेतु जेडईडी गोलुड सरटफाइड इकाइयों के लिये शत प्रतशित सब्सिडी, जेडईडी सलिवर सरटफाइड इकाइयों के लिये 75 प्रतशित और जेडईडी कांसय सरटफाइड इकाइयों के लिये फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या वास्तविक माल ढुलाई के 1 प्रतशित में से सरकारी शुल्क और करों को छोड़कर, 33 प्रतशित सब्सिडी सुनश्चि की जाएगी।
- संशोधन के अनुसार, सभी पात्र इकाइयों के आवेदन वतितीय वर्ष की समाप्त की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर वभिग के वेब पोर्टल पर जमा करवाए जाएंगे और 10 लाख रुपए से अधिक की माल ढुलाई सब्सिडी की मंजूरी देने के लिये महानदिशक/नदिशक, एमएसएमई सक्षम प्राधिकारी होंगे।
- सेवा प्रदान समयावधि इस प्रकार होगी- 45 कार्य दिवसों में पत्र का अनुमोदन कया जाए तथा सात दिनों में ही पत्र स्वीकृत कया जाएंगे और सात दिनों में ही वतिरति कया जाएंगे।
- योजना की लागू होने की प्रभावी तिथि 1 जुलाई, 2023 है, जिसका अर्थ है कि वास्तविक नरियात 1 जुलाई, 2023 को या उसके बाद कया जाना चाहिये, यह उठान के बलि के आधार पर नरिधारति कया जाएगा।
- सब्सिडी का लाभ लेने के लिये नरिधारति प्रोफार्मा में दस्तावेज वभिग की वेबसाइट पर वति वरष की समाप्त से 6 महीने पहले तक अपलोड कया जा सकते हैं।
- ये प्रोत्साहन देने के लिये महानदिशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, हरियाणा सक्षम प्राधिकारी होंगे।
- अधिसूचना अनुसार यदि कोई आवेदक गलत तथ्यों के आधार पर उक्त लाभ लेता पाया जाता है तो उससे 12 प्रतशित वार्षिक चक्रवृद्धि बियाज दर के साथ प्रोत्साहन राशि रफिंड करनी होगी और उसके वरिद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
- इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की दी जाने वाले प्रोत्साहन/सहायता ग्रांट से वंचित कया जा सकता है।

माल ढुलाई सलसिडी के रूप में 25 लाख रुपये किए
जाएंगे प्रदान



PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/revised-freight-assistance-scheme-notified-in-the-state>

